भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 42
दिनांक 22 जुलाई, 2026 को उत्तर के लिए

शिशु मृत्यु दर

***42. श्री संदोष कुमार पी:**

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में शिशु मृत्यु दर (आईएमआर), पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर (यू5एमआर) तथा नवजात शिशु मृत्यु दर (एनएमआर) का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त संकेतकों में दर्ज की गई घटनाओं का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीय औसत से अधिक मृत्यु दर वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए क्या कारण अभिनिर्धारित किए गए हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान बाल मृत्यु दर में कमी लाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की गई केंद्रीय सहायता का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ड.) सरकार द्वारा बाल उत्तरजीविता से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति तथा बाल मृत्यु दर में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (ड.): विवरण सदन पटल पर प्रस्तुत है।

'शिशु मृत्यु दर' के विषय में श्री संदोष कुमार पी द्वारा पूछे गए दिनांक 22.07.2026 को उत्तर दिए जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 42 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग): भारत के महापंजीयक (आरजीआई) की नवीनतम नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट (एसआरएस) 2024 के अनुसार, शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) प्रति 1000 जीवित जन्म लेने वाले शिशुओं में 24, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर (यू5एमआर) प्रति 1000 जीवित जन्म लेने वाले बच्चों में 28 और नवजात मृत्यु दर (एनएमआर) प्रति 1000 जीवित जन्म लेने वाले नवजातों में 18 है। वर्ष 2022 से 2024 की अवधि की एसआरएस-आरजीआई रिपोर्ट के अनुसार एनएमआर, आईएमआर और यू5एमआर का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण क्रमशः अनुलग्नक-I (क), I (ख) और I (ग) में दिया गया है।

मृत्यु दर परस्पर संबंधित अनेक जनसांख्यिकीय, सामाजिक-आर्थिक और स्वास्थ्य प्रणाली संबंधी कारकों पर निर्भर करती है। इनमें स्वास्थ्य और पोषण संबंधी स्थिति, शिक्षा, टीकाकरण कवरेज, स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार, स्वच्छता और सफाई, स्वास्थ्य सुविधाओं तक भौगोलिक पहुंच में अंतर और स्वास्थ्य के अन्य सामाजिक निर्धारक शामिल हैं।

(घ): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) सेवाओं के अंतर्गत किए गए व्यय का विवरण अनुलग्नक II में दिया गया है।

(ङ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (एपीआईपी) के आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल, किशोर स्वास्थ्य एवं पोषण (आरएमएनसीएएच+एन) कार्यनीति के कार्यान्वयन में सहायता करता है। बाल उत्तरजीविता से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण देश में बाल स्वास्थ्य परिणामों में सुधार हेतु पहलों का विवरण इस प्रकार है:

- जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के अंतर्गत नकद प्रोत्साहन के माध्यम से संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना;
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) के अंतर्गत गर्भवती माता और एक वर्ष तक आयु के बीमार शिशुओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में निःशुल्क उपचार के साथ-साथ निःशुल्क परिवहन, नैदानिक जांच, दवाएं, रक्त और उपभोग्य सामग्रियों का प्रावधान;

- जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज स्तर पर विशेष नवजात देखरेख इकाइयां (एसएनसीयू)/नवजात गहन देखरेख इकाइयां (एनआईसीयू) स्थापित की गई हैं, प्रथम रेफरल इकाइयों (एफआरयू)/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में बीमार और कम वजन वाले नवजातों की देखरेख के लिए नवजात स्थिरीकरण इकाइयां (एनबीएसयू) स्थापित की गई हैं। 'जीरो सेपरेशन' सुनिश्चित करने के लिए मातृ नवजात देखरेख इकाइयां (एमएनसीयू) स्थापित की गई हैं, जिससे बीमार और कम वजन वाले नवजातों को उनकी माताओं के साथ-साथ 24×7 एकीकृत देखरेख तथा पारिवारिक सहभागी देखरेख को बढ़ावा दिया जा सके।
- जन्म के समय अल्पवज़न/समय से पहले जन्मे शिशुओं के लिए स्वास्थ्य सुविधा केंद्र और समुदाय स्तर पर कंगारू मदर केयर (केएमसी) कार्यान्वित की गई है, जिसमें माता या परिवार के सदस्य के साथ प्रारंभ से ही और लंबे समय तक जुड़ाव तथा खासतौर पर बार-बार केवल स्तनपान शामिल है।
- घर-आधारित नवजात देखरेख (एचबीएनसी) और छोटे बच्चों की घर-आधारित देखरेख (एचबीवाईसी) कार्यक्रम के अंतर्गत, मान्यता प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता (आशा) द्वारा बाल पालन पद्धतियों में सुधार और समुदाय में बीमार नवजातों एवं छोटे बच्चों की पहचान के लिए गृह दौरे किए जाते हैं। इन पहलों को आगे बढ़ाते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (एसएसबीएसके) जारी किया है, जो एक एकीकृत राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसमें जन्म से 36 महीने तक के प्रत्येक बच्चे के लिए घर और समुदाय आधारित देखरेख के लिए एचबीएनसी और एचबीवाईसी को एकल कार्यक्रम में समाहित किया गया है, जिसका विजन है "पहले तीन साल सम्पूर्ण देखभाल"।
- जन्म के तुरंत बाद स्तनपान प्रारंभ करने और पहले छह माह तक विशेषरूप से केवल स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए 'मां का संपूर्ण स्नेह कार्यक्रम (मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्सन प्रोग्राम) (एमएए)';
- अतिसार रोकथाम (स्टॉप डायरिया) अभियान के अंतर्गत बच्चों में दस्त के प्रबंधन हेतु ओआरएस और जिंक के प्रयोग को बढ़ावा;
- निमोनिया के विषय में सामाजिक जागरूकता और इसका सफलतापूर्वक उपचार (एसएएनएस) कार्यक्रम के अंतर्गत निमोनिया की शीघ्र जांच, पहचान और प्रबंधन;
- सर्वव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत टीका-निवारक 12 रोगों से बच्चों की सुरक्षा के लिए 11 टीकों का प्रावधान;
- इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) उत्तरजीविता की गुणवत्ता में सुधार के लिए विकारों, रोगों, कमियों और विलंब को दूर करने हेतु बाल स्वास्थ्य जांच और शीघ्र उपचार सेवाएं प्रदान करता है। हाल ही में, स्वास्थ्य और

परिवार कल्याण मंत्रालय ने आरबीएसके 2.0 प्रचालन दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसके अंतर्गत उभरती बाल स्वास्थ्य प्राथमिकताओं को शामिल करने के लिए कार्यक्रम संबंधी ढांचे का विस्तार किया गया है। इस पहल के अंतर्गत, मंत्रालय ने बच्चों में मधुमेह पर मार्गदर्शक दस्तावेज भी जारी किया है, जिसमें बच्चों में मधुमेह की जांच, निदान, उपचार और दीर्घकालिक प्रबंधन के लिए एक मानकीकृत राष्ट्रीय ढांचा उपलब्ध है।

22 जुलाई 2026 को उत्तर दिए जाने वाले राज्यसभा तारांकित प्रश्न संख्या 42 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक I (क), अनुलग्नक I (ख) और अनुलग्नक I (ग)

अनुलग्नक-I (क)

राष्ट्रीय स्तर पर और बड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में नवजात मृत्यु दर (एनएमआर) की स्थिति				
क्र.सं.	**राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के नाम**	**2022**	**2023**	**2024**
	भारत	**19**	**19**	**18**
1	आंध्र प्रदेश	15	16	14
2	असम	22	21	20
3	बिहार	19	18	17
4	छत्तीसगढ़	27	26	26
5	दिल्ली	8	9	7
6	गुजरात	15	15	15
7	हरियाणा	18	19	17
8	हिमाचल प्रदेश	12	11	8
9	जम्मू और कश्मीर	10	10	10
10	झारखंड	18	20	19
11	कर्नाटक	12	11	11
12	केरल	5	4	6
13	मध्य प्रदेश	29	27	26
14	महाराष्ट्र	11	11	10
15	ओडिशा	23	21	20
16	पंजाब	12	12	11
17	राजस्थान	21	21	21
18	तमिलनाडु	8	9	8
19	तेलंगाना	14	14	13
20	उत्तर प्रदेश	27	26	25
21	उत्तराखंड	15	14	13
22	पश्चिम बंगाल	14	13	12
स्रोत:भारत के महापंजीयक की नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट (https://censusindia.gov.in/census.website/data/SRSSTAT)				
इकाई:प्रति 1000 जीवित जन्म				

a

अनुलग्नक-I (ख)

राष्ट्रीय स्तर और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) की स्थिति				
क्र.सं.	**राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के नाम**	**2022**	**2023**	**2024**
	भारत	**26**	**25**	**24**
1	आंध्र प्रदेश	20	19	18
2	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8	9	9
3	अरुणाचल प्रदेश	19	20	17
4	असम	32	30	29
5	बिहार	26	23	23
6	चंडीगढ़	8	7	6
7	छत्तीसगढ़	38	37	36
8	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	7	9	9
9	दिल्ली	12	14	11
10	गोवा	5	6	7
11	गुजरात	20	20	19
12	हरियाणा	26	26	24
13	हिमाचल प्रदेश	17	14	11
14	जम्मू और कश्मीर	14	14	14
15	झारखंड	25	29	27
16	कर्नाटक	15	14	15
17	केरल	7	5	8
18	लद्दाख	5	4	3
19	लक्षद्वीप	14	9	3
20	मध्य प्रदेश	40	37	35
21	महाराष्ट्र	13	14	13
22	मणिपुर	3	3	2
23	मेघालय	30	34	31
24	मिजोरम	11	13	12
25	नागालैंड	9	10	12
26	ओडिशा	32	30	28
27	पुद्दुचेरी	6	7	7
28	पंजाब	16	17	16
29	राजस्थान	30	29	28
30	सिक्किम	5	6	7
31	तमिलनाडु	11	12	11
32	तेलंगाना	18	18	17
33	त्रिपुरा	17	15	12
34	उत्तर प्रदेश	38	37	35
35	उत्तराखंड	21	20	19
36	पश्चिम बंगाल	17	17	16
	स्रोत:भारत के महापंजीयक की नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट (https://censusindia.gov.in/census.website/data/SRSSTAT) **इकाई:**प्रति 1000 जीवित जन्म			

अनुलग्नक I (ग)

राष्ट्रीय स्तर पर और बड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर (U5MR) की स्थिति				
क्र.सं.	**राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के नाम**	**2022**	**2023**	**2024**
	भारत	**30**	**29**	**28**
1	आंध्र प्रदेश	23	21	21
2	असम	35	33	34
3	बिहार	29	27	25
4	छत्तीसगढ़	41	41	39
5	दिल्ली	15	16	13
6	गुजरात	25	23	21
7	हरियाणा	31	30	29
8	हिमाचल प्रदेश	22	17	15
9	जम्मू और कश्मीर	17	15	15
10	झारखंड	29	32	32
11	कर्नाटक	17	17	18
12	केरल	9	8	9
13	मध्य प्रदेश	47	44	41
14	महाराष्ट्र	16	16	15
15	ओडिशा	37	35	33
16	पंजाब	19	22	19
17	राजस्थान	35	34	34
18	तमिलनाडु	13	13	14
19	तेलंगाना	22	22	20
20	उत्तर प्रदेश	42	42	41
21	उत्तराखंड	25	23	21
22	पश्चिम बंगाल	20	18	19
	स्रोत:भारत के महापंजीयक की नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट (https://censusindia.gov.in/census.website/data/SRSSTAT) **इकाई:**प्रति 1000 जीवित जन्म			

22 जुलाई 2026 को उत्तर दिए जाने वाले राज्यसभा तारांकित प्रश्न संख्या 42 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

अनुलग्नक-II

वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आरसीएच का (नियमित टीकाकरण (आरआई), गहन पल्स पोलियो टीकाकरण (आईपीपीआई) राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम (एनआईडीडीसीपी) सहित) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार व्यय।

लाख रुपए में

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	90.25	193.12	167.97
2	आंध्र प्रदेश	42,022.91	24,474.13	30,661.33
3	अरुणाचल प्रदेश	1,696.59	3,436.51	1,986.38
4	असम	39,393.88	39,150.04	38,086.39
5	बिहार	95,436.88	93,956.52	58,752.88
6	चंडीगढ़	86.29	76.16	61.66
7	छत्तीसगढ़	20,549.57	23,347.10	25,343.49
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	127.14	384.66	327.27
9	दिल्ली	2,670.43	4,147.62	2,881.30
10	गोवा	479.81	605.13	403.65
11	गुजरात	66,368.46	44,407.68	31,065.88
12	हरियाणा	15,572.71	13,173.19	15,559.08
13	हिमाचल प्रदेश	4,533.62	5,490.95	7,948.76
14	जम्मू और कश्मीर	7,561.69	10,889.56	9,819.49
15	झारखंड	44,734.05	47,124.90	52,831.71
16	कर्नाटक	32,608.26	22,344.75	13,657.58
17	केरल	8,325.85	11,528.96	11,242.47
18	लद्दाख	671.25	925.43	704.49
19	लक्षद्वीप	66.87	70.11	57.24
20	मध्य प्रदेश	82,393.31	75,246.84	69,825.66
21	महाराष्ट्र	48,593.64	38,315.71	39,997.13
22	मणिपुर	1,070.52	2,705.87	4,892.32
23	मेघालय	4,577.76	5,924.17	5,513.89
24	मिजोरम	1,076.36	641.15	1,642.30
25	नागालैंड	1,560.70	2,230.69	1,568.02
26	ओडिशा	41,842.91	35,321.09	40,059.06
27	पुद्दुचेरी	415.43	640.05	548.14

28	पंजाब	19,912.43	10,552.15	6,417.76
29	राजस्थान	66,553.04	71,410.65	46,429.37
30	सिक्किम	490.77	880.43	780.33
31	तमिलनाडु	34,324.41	36,086.45	28,285.97
32	तेलंगाना	11,610.24	19,615.24	11,760.48
33	त्रिपुरा	3,853.70	3,667.77	4,307.16
34	उत्तर प्रदेश	1,65,068.31	1,33,369.39	1,21,710.97
35	उत्तराखंड	7,612.42	8,021.48	5,771.13
36	पश्चिम बंगाल	50,412.63	40,181.79	41,822.08
टिप्पणी:व्यय में केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई निधि, राज्य सरकार द्वारा जारी की गई निधि और वर्ष के प्रारंभ में शेष बची निधि से किया गया व्यय शामिल है। व्यय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत किए गए एफएम आर के अनुसार है और यह अस्थायी है।				
